[2019] 3 एस. सी. आर. 1067

सामान्य कारण और ए. एन. आर.

वी.

भारत संघ और ए. एन. आर.

(2019 की लिखित याचिका (सी) संख्या 54)

फरवरी 19,2019

[अरुण मिश्रा और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946:

एस। 4 ए-सी. बी. आई. के अंतरिम निदेशक की नियुक्ति-याचिका यू/आर्ट में चुनौती दी गई। 32 संविधान का-अंतरिम निदेशक की नियुक्ति के आदेश को रद्द करने और निर्देश देने की भी मांग करना सी. बी. आई. के एक नियमित निदेशक की नियुक्ति-याचिका में कहा गया है कि अंतरिम निदेशक की नियुक्ति एस के अनुसार नहीं थी। 4 ए और मनमाना और अवैध रूप से आयोजित किया गया थाः यह यू/एस द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति द्वारा पारित प्रस्ताव से स्पष्ट है। 4 ए वह नियुक्ति

अंतरिम निदेशक की नियुक्ति समिति द्वारा अधिकृत की गई थी-इसलिए, नियुक्ति अनधिकृत या अवैध नहीं थी-याचिका इस तथ्य की पुष्टि किए बिना अनुचित जल्दबाजी में दायर की गई थी कि क्या नियुक्ति अधिकृत थी-चूंकि नियमित निदेशक की नियुक्ति की गई है, इसलिए रिट का मुख्य अनुरोध भी संतुष्ट है।

रिट याचिका खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 9/10 जनवरी, 2019 को उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति द्वारा पारित प्रस्ताव से यह स्पष्ट है कि अंतरिम निदेशक की नियुक्ति द्वारा अधिकृत किया गया था

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 4 ए के तहत समिति। इस प्रकार, यह याचिका कि समिति ने अंतरिम निदेशक की नियुक्ति को अधिकृत नहीं किया है, पूरी तरह से गलत है और याचिकाकर्ता उपरोक्त तथ्यों को सत्यापित करने में विफल रहे हैं और याचिका इस तथ्य को सत्यापित किए बिना अनुचित जल्दबाजी में दायर की गई है कि क्या नियुक्ति अधिनियम की धारा 4 ए के तहत गठित निदेशक की नियुक्ति के लिए समिति द्वारा अधिकृत की गई है।

[पारस 14 और 16] [1074-जी; 1075-सी]

2. याचिकाकर्ता ने यह भी खुलासा करने का अनुरोध किया था कि सरकार द्वारा शॉर्टलिस्ट करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

उम्मीदवार। आवेदन के जवाब में, याचिकाकर्ता संख्या 2 को सलाह दी गई थी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. टी. आई. अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील करने का सहारा लेना। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने कोई अपील दायर नहीं की है। इसलिए उक्त आधार पर भी मामले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। [पारस 18 और 19] [1076-बी; एफ]

3. चूंकि नियमित निदेशक नियुक्त किया गया है, मुख्य

याचिकाकर्ता की प्रार्थना संतुष्ट है और उपरोक्त परिस्थितियों में इस रिट याचिका को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। [पैरा 20] [1076-जी]

विनीत नारायण और अन्य। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. (1998) 1

एससीसी 226: [1997] 6 पूरक। एस. सी. आर. 595; भारत संघ

वी. नमित शर्मा (2013) 10 एससीसी 359 [2013] 13

एससीआर 96; पी. आई. एल. और ए. एन. आर. के लिए केंद्र। वी. भारत संघ और

एन. आर. 2011 (4) एस. सी. आर. 445-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

संदर्भित किया गया है

[1997] 6 पूरक। एससीआर 595

पै

रा 5

[2013] 13 एससीआर 96

पै

रा 12

संदर्भित किया गया है

[2011] 4 एससीआर 445

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका (सिविल)

201 का सं. 54।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

के. के. वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल, तुषार मेहता, एएसजी,

रजत नायर, आर. बालासुब्रमण्यम, सुश्री श्रद्धा देशमुख, कानू अग्रवाल, राजीव रंजन, ए. के. शर्मा, अंकुर तलवार, सुश्री उत्तरा बब्बर, सुश्री भावना दुहून, प्रशांत भूषण, रोहित कुमार सिंह, सुश्री चेरिल डिसूजा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे।

1. रिट याचिका अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है।

भारत का संविधान दिल्ली विशेष पुलिस की धारा 4ए में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए तुरंत सीबीआई के एक नियमित निदेशक की नियुक्ति के लिए भारत संघ को निर्देश देने के लिए एक आदेश पत्र जारी करने की मांग करता है। स्थापना अधिनियम, 1946। श्री नागेश्वर राव को सी. बी. आई. के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 1 के आदेश को रद्द करने की भी प्रार्थना की गई है। आम कारण और ए. एन. आर. के लिए एक और प्रार्थना की गई है।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अरुण मिश्रा, जे।]

भारत संघ को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित रिट या निर्देश जारी करना कि विचार-विमर्श के सभी रिकॉर्ड और निदेशक, सी. बी. आई. के चयन और चयन के तर्कसंगत मानदंडों को ठीक से दर्ज किया जाए और नागरिकों को आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उपलब्ध कराया जाए। चयन सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारत संघ को निर्देश देने के लिए एक और प्रार्थना की गई है,

निदेशक, सी. बी. आई. का चयन और नियुक्ति प्रक्रिया।

2. याचिका में कहा गया है कि भारत सरकार दिल्ली विशेष अदालत की धारा 4 ए के अनुसार सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करने में विफल रही है। पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 और इसके बजाय श्री नागेश्वर राव को मनमाने और अवैध तरीके से सी. बी. आई. का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया है।

तरीके से।

3. यह आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता नं। 1 , कॉमन कॉज एक पंजीकृत सोसायटी है और जनहित में याचिका दायर की गई है। हालांकि, पिछले 3 वित्तीय वर्षों में समाज की औसत वार्षिक आय लगभग रु। 1. 17 करोड़। याचिकाकर्ता संख्या 2 आर. टी. आई. कार्यकर्ता हैं। और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन दायर किए थे, जिसमें उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के संदर्भ में सीबीआई के नए निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी गई थी, यदि कोई हो, तो खोज और चयन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त, जिनमें से कोई भी उन्हें आर. टी. आई. अधिनियम का उल्लंघन करते हुए प्रदान नहीं किया गया था। औसत

याचिकाकर्ता संख्या 2 की पिछले तीन वित्तीय वर्षों की वार्षिक आय लगभग 5 लाख रुपये है। याचिकाकर्ताओं का कोई निजी/अप्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में प्रतिवादी को कोई अभ्यावेदन नहीं दिया है क्योंकि मुद्दे में मामले की अत्यधिक तात्कालिकता के कारण प्रक्रिया शुरू करने के लिए कॉमन कॉज द्वारा 9.1.2019 पर लिखे गए पत्र को छोड़कर

नियमित निदेशक, सी. बी. आई. की नियुक्ति।

4. यह भी माना जाता है कि सी. बी. आई. प्रमुख जाँच एजेंसी है।

देश को। यह केंद्र सरकार से जुड़े भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों और राज्य सरकार की संस्थाओं से जुड़े मामलों की भी जांच करता है। इस न्यायालय ने भ्रष्टाचार के महत्वपूर्ण मामले सौंपे हैं और

जाँच के लिए सी. बी. आई. के मानवाधिकारों का उल्लंघन। सी. बी. आई. के निदेशक संगठन के प्रमुख हैं। वह सभी कार्यों की निगरानी करता है और मामलों की जांच के लिए जांच दलों के गठन के लिए जिम्मेदार है। इस न्यायालय और संसद ने सी. बी. आई. निदेशक की कार्यात्मक स्वायत्तता को बढ़ाने और इस प्रमुख पदाधिकारी की नियुक्ति के मामले में कार्यकारी विवेक की सीमा को सीमित करने के लिए दृढ़ प्रयास किए हैं।

9] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. विनीत नारायण और ओआरएस के मामले में। वी. भारत संघ और

एन. आर. (1998) 1 एस. सी. सी. 226, इस न्यायालय ने सी. बी. आई. को बाहरी प्रभाव से बचाने के निर्देश जारी किए। इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि नियुक्ति के लिए नामों के पैनल की पहचान करने के लिए एक चयन समिति होनी चाहिए

निदेशक, सी. बी. आई. और उसके बाद अंतिम चयन मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ए. सी. सी.) द्वारा किया जाना है। सी. बी. आई. निदेशक का कार्यकाल 2 साल का होगा। उक्त निर्देश इस न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था कि सी. बी. आई. निदेशक की नियुक्ति और कार्यप्रणाली में अड़चन को समाप्त किया जाए और स्वतंत्रता बनाए रखी जाए।

6. तदनुसार, 2003 में विनीत नारायण के मामले (ऊपर) के बाद डी. एस. ई. पी. अधिनियम में संशोधन किए गए। प्रावधान आगे थे

2013 में लोकपाल और लोकायुक्ता अधिनियम के माध्यम से डी. एस. पी. ई. अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि चयन समिति को सरकार से और अलग किया जा सके। प्रभाव पड़ता है। सी. बी. आई. निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक समिति की सिफारिशों पर की जानी है जिसमें (क) प्रधानमंत्री शामिल हैं।

मंत्री-अध्यक्ष, (ख) विपक्ष का नेता (सदस्य) और (ग) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश। नवंबर 2014 में अधिनियम में और संशोधन किया गया था ताकि लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को विपक्ष के किसी भी नेता को मान्यता न मिलने की स्थिति में चयन समिति का सदस्य बनाया जा सके।

7. अधिनियम की धारा 4 ए समिति के गठन का प्रावधान करती है। उसी को यहाँ नीचे निकाला गया हैः

" 4 ए. निदेशक की नियुक्ति के लिए समिति -

(1) केंद्र सरकार निदेशक की नियुक्ति करेगी

समिति की सिफारिशें

(क) प्रधानमंत्री-अध्यक्ष।
(ख) विपक्ष के नेता 12 को लोक सभा में मान्यता प्राप्त है या जहां विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं है, तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता

उस सदन के सदस्य
भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

((ग)

उनके द्वारा मनोनीत-सदस्य।

(2) निदेशक की कोई भी नियुक्ति केवल किसी सदस्य की रिक्ति या अनुपस्थिति के कारण अमान्य नहीं होगी।

समिति।

सामान्य कारण और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अरुण मिश्रा, जे।]

♡ (3) समिति अधिकारियों के एक पैनल की सिफारिश करेगी -

(क) वरिष्ठता, सत्यनिष्ठा और अनुभव के आधार पर

भ्रष्टाचार विरोधी मामलों की जाँच; और

(ख) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के तहत गठित भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित अधिकारियों में से चुना गया।

(61 1951 का)

निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए।

8. इस न्यायालय ने सी. ए. No.4303/2002 में स्पष्ट किया है कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 की धारा 4 ए में उल्लिखित वरिष्ठता के संबंध में, आम तौर पर वरिष्ठतम चार बैचों के सभी आई. पी. एस. अधिकारी

सी. बी. आई. निदेशक की सेवानिवृत्ति की तारीख को सेवा में, उनकी सूची चाहे जो भी हो, निदेशक, सी. बी. आई. के पद पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र होंगे।

9. श्री नागेश्वर राव की सी. बी. आई. के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि 23.10.2018,2 केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अलग-अलग आदेश जारी किए गए और

सरकार. भारत से। सी. बी. आई. के तत्कालीन निदेशक श्री आलोक वर्मा को उनकी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था और भारत सरकार द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार श्री नागेश्वर राव को अंतरिम उपाय के रूप में सी. बी. आई. का निदेशक बनाया गया था। श्री नागेश्वर राव की अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्ति की सिफारिश चयन समिति द्वारा नहीं की गई थी। सरकार ने उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति को दरकिनार कर दिया और स्थापित प्रक्रिया का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए एकतरफा रूप से अंतरिम नियुक्ति की। श्री नागेश्वर राव की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 1 के आदेश को इस न्यायालय में डब्ल्यू. पी. में चुनौती दी गई थी। [सी] No.1315/2018। इस न्यायालय ने दिनांक 1 के निर्णय के माध्यम से श्री नागेश्वर राव की नियुक्ति और श्री आलोक वर्मा से संबंधित आदेश को रद्द कर दिया, इस न्यायालय ने कहाः

" 37. एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो लंबी बहस के दौरान महत्वपूर्ण तर्कों से उत्पन्न होता है।

ऐसा हुआ है। यह सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 14,15 और 16 के अनुप्रयोग के संबंध में है ताकि केंद्र सरकार को सी. बी. आई. के कार्यवाहक निदेशक की नियुक्ति के आदेश सहित विवादित आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान की जा सके। पिछली चर्चाएँ और सच्चे (2019) 3 एस. सी. आर. पर हमारे विचार।

और धारा 4 ए में निहित प्रावधानों का सही अर्थ और

4 डी. एस. पी. ई. अधिनियम का बी हमें आश्वस्त करता है कि उपरोक्त

सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधानों का वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं होगा क्योंकि स्पष्ट और स्पष्ट इरादे इसके विपरीत हैं जो उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट रूप से प्रवाहित होते हैं।

डी एस पी ई अधिनियम।

10. 2018 की रिट याचिका (सी) No.1315 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित राहतें प्रदान कीं:

" 39. नतीजतन, ऊपर व्यक्त किए गए अपने विचारों के आलोक में हम 23 अक्टूबर के निम्नलिखित आदेशों को दरकिनार कर देते हैं 2018 .

सी. वी. सी. द्वारा शक्तियों, कार्यों, कर्तव्यों को विभाजित करना,

((i)

निदेशक, सी. बी. आई. के रूप में श्री आलोक कुमार वर्मा की पर्यवेक्षी भूमिका आदि।

((ख)

भारत सरकार, कार्मिक, सार्वजनिक मंत्रालय

शिकायत और पेंशन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने श्री आलोक कुमार वर्मा, निदेशक, सी. बी. आई. को उनके कार्यों, शक्तियों, कर्तव्यों और पर्यवेक्षी भूमिका से वंचित कर दिया है। तत्काल प्रभाव और अगले आदेश तक।

((ग) भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन, जिसके द्वारा श्री एम. नागेश्वर राव, आई. पी. एस., संयुक्त निदेशक, सी. बी. आई. को तत्काल प्रभाव से सी. बी. आई. के निदेशक के कर्तव्यों और कार्यों को देखने के लिए कहा गया है। याचिका में कहा गया है कि श्री नागेश्वर की नियुक्ति

राव को सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति की सिफारिशों पर नहीं बनाया गया था। समिति को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था और श्री नागेश्वर राव की नियुक्ति में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, जिससे नियुक्ति अवैध हो गई क्योंकि यह निदेशक, सी. बी. आई. की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लंघन है। दिनांकित आदेश 10.1.2019

इसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने "पहले की व्यवस्था के अनुसार" श्री नागेश्वर राव की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। चूंकि उक्त व्यवस्था को इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था क्योंकि यह डी. एस. पी. ई. अधिनियम में परिभाषित सी. बी. आई. निदेशक के लिए प्रक्रिया का उल्लंघन था, फिर भी

सरकार ने अपने पहले के आदेश को लागू किया जो एक बार सामान्य कारण और ए. एन. आर. को रद्द कर दिया गया था।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अरुण मिश्रा, जे।]

डी. एस. पी. ई. अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, फिर से सी. बी. आई. निदेशक की नियुक्ति करें, भले ही वह सक्षम प्राधिकारी न हो और उसके पास नियुक्ति करने का कोई अधिकार न हो। द.

उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति की सिफारिश आवश्यक थी, इसलिए सरकार ने श्री नागेश्वर राव को नियुक्त करने के लिए पूरी तरह से मनमाने तरीके से और डी. एस. पी. ई. अधिनियम के उल्लंघन में काम किया है।

11. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इसमें पारदर्शिता की कमी है

सी. बी. आई. निदेशक की नियुक्ति। इस न्यायालय ने चयन और चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निर्देश दिए हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग और सूचना आयोगों जैसे विभिन्न स्वतंत्र निकायों के अधिकारियों की नियुक्ति

गोपनीयता की आड़ में नियुक्ति प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है।

12. यह आगे कहा गया है कि यह न्यायालय अंजलि भारद्वाज और

ओआरएस। वी. भारत संघ ने अपने दिनांकित 13.12.2018 के आदेश के माध्यम से केंद्र सरकार को शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों के विवरण का सक्रिय रूप से खुलासा करने का निर्देश दिया

उम्मीदवार और मानदंडों का पालन किया गया। भारत संघ बनाम में देखी गई पारदर्शिता को बनाए रखा जाना चाहिए। नमित शर्मा (2013) 10 एससीसी 359। रिलायंस को पी. आई. एल. और ए. एन. आर. के लिए केंद्र में भी रखा गया है। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. — डब्ल्यू. पी. [C] Nos.348 और 355/2010। जहां तक निदेशक सी. बी. आई. की नियुक्ति का संबंध है, भारत सरकार चयन और नियुक्ति के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही है। दिसंबर 2018 में जैसा कि मीडिया ने बताया कि सरकार ने श्री आलोक वर्मा के कार्यकाल के रूप में निदेशक, सीबीआई की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की। 31.1.2019 पर समाप्त करने के लिए सेट किया गया था। याचिकाकर्ता संख्या 2 ने आर. टी. आई. अधिनियम के तहत आवेदन दायर कर चयन की बैठकों के बारे में जानकारी मांगी

बैठकें, बैठकों के कार्यवृत्त की प्रति, प्रत्येक बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों का विवरण, चयन समिति द्वारा विचार के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण आदि। लेकिन ऐसी कोई जानकारी का खुलासा नहीं किया गया था। चयनित उम्मीदवार की ऐसी कोई प्रति प्रदान नहीं की गई थी। सरकार ने सी. ए. No.4303/2002 में निदेशक, सी. बी. आई. की सेवानिवृत्ति की तारीख को सेवा में सबसे अधिक 4 बैचों के वरिष्ठ आई. पी. एस. अधिकारियों के बीच वरिष्ठता के स्पष्टीकरण के संबंध में इस न्यायालय के निर्देशों का सारांश देते हुए जवाब दिया है, जिन पर पद भरने और पद के बारे में जानकारी देने के लिए विचार करने की आवश्यकता थी।

डी. एस. पी. ई. अधिनियम के तहत चयन समिति का गठन। दिनांकित 19.12.2018 (P5) अनुरोध को अभिलेख पर रखा गया है। 9.1.2019 प्रार्थना पर [2019] 3 एस. सी. आर.

नियमित सी. बी. आई. निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री और विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता से कहा गया था, इसलिए याचिका दायर की गई है।

13. विभिन्न पीठों द्वारा कई बार अलग होने के बाद, अंततः,

इस न्यायालय द्वारा 1.2.2019 पर मामला उठाया गया था, जिस तारीख को कुछ समय तक दलीलों की सुनवाई की गई थी। भारत के जाने-माने महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल ने बताया कि सी. बी. आई. के निदेशक की नियुक्ति के संबंध में उसी दिन उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक निर्धारित थी। मामला 6.2.2019 तक स्थगित कर दिया गया। हालाँकि, 1.2.2019 पर सुनवाई के दौरान, उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति के कार्यवृत्त को अदालत के समक्ष रखा गया था और भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि उक्त समिति ने बहुमत से

एक प्रस्ताव पारित करते समय भारत सरकार को एक अंतरिम निदेशक नियुक्त करने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया और याचिकाकर्ता के वकील को अदालत द्वारा इस तरह के प्रस्ताव के बारे में बताया गया कि समिति द्वारा पारित किया गया है। उस पर, उन्होंने स्वीकार किया था कि धारा 4 ए के तहत समिति ने नियुक्ति को अधिकृत नहीं किया है। 9/10 जनवरी, 2019 के प्रस्ताव का कार्यात्मक भाग निम्नलिखित हैः

" (i) श्री आलोक कुमार वर्मा को निदेशक, सी. बी. आई. के पद से स्थानांतरित किया जाए और उन्हें आई. डी. 1 पर समाप्त होने वाले उनके वर्तमान कार्यकाल की शेष अवधि के लिए एक उपयुक्त कार्य सौंपा जाए।

((ii) केंद्र सरकार एक नए निदेशक की नियुक्ति तक निदेशक, सी. बी. आई. के कर्तव्यों को देखने के लिए एक उपयुक्त अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है।

निदेशक, सीबीआई "।

14. धारा 4 ए के तहत समिति के निर्णय से यह स्पष्ट है कि सरकार को एक उपयुक्त अधिकारी को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था श्री आलोक वर्मा के स्थानांतरण के कारण रिक्त पद के कारण अंतरिम निदेशक। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका में यह कहा गया है कि एचपीएससी ने अंतरिम निदेशक की नियुक्ति को अधिकृत नहीं किया है, यह पूरी तरह से गलत धारणा है और याचिकाकर्ता उपरोक्त तथ्यों को सत्यापित करने में विफल रहे हैं और याचिका इस तथ्य की पुष्टि किए बिना अनुचित जल्दबाजी में दायर की गई है कि क्या नियुक्ति डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 ए के तहत गठित निदेशक की नियुक्ति के लिए समिति द्वारा अधिकृत की गई है।

15. दुर्भाग्य से 1.2.2019 पर अदालत में जो हुआ उसके बाद सामान्य कारण और ए. एन. आर. की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा कुछ ट्वीट किए गए।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अरुण मिश्रा, जे।]

कॉमन कॉज और दूसरा जिसके संबंध में अटॉर्नी जनरल ने अवमानना याचिका के साथ-साथ भारत संघ भी दायर किया है। यह ट्वीट किया गया था कि उक्त बैठक के कार्यवृत्त जाली थे, न्यायालय को गुमराह किया गया था और अंतरिम निदेशक की नियुक्ति के बारे में धारा 4 ए के तहत गठित समिति द्वारा कोई प्राधिकरण नहीं दिया गया था। किए गए ट्वीट्स के बारे में, अवमानना याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें नोटिस दिया गया है

जारी किया गया। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान ट्वीट्स का प्रभाव अवमानना याचिका का विषय है और वही होना है अवमानना याचिका (सी. आर. एल.) में विचार किया गया नं. 1 और 2019 की 2 के रूप में हम ट्वीट्स के बारे में प्रस्तुत करने पर याचिका में टिप्पणी करने से बचते हैं।

16. 9/10 जनवरी, 2019 को समिति द्वारा पारित प्रस्ताव से यह स्पष्ट है कि अंतरिम निदेशक की नियुक्ति

इस मामले में निर्णय के लिए समिति का गठन नहीं होता है क्योंकि समिति ने उपरोक्त प्रस्ताव पारित कर दिया है। 17. याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा दायर आर. टी. आई. आवेदन के संबंध में, इसका जवाब 19.12.2018 पर निम्नानुसार दिया गया थाः

" कृपया पंजीकरण संख्या वाले अपने ऑनलाइन आर. टी. आई. आवेदन को देखें। डीओपी एंड टी/आर/2018/56336 दिनांक 5.12.2018 आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी। 2. यह सूचित किया जाता है कि इस विभाग के कार्यकारी आदेश No.230/14/99-DSPE दिनांक 8.7.2004 के अनुसार जारी किया गया है

सी. ए. सं. <आई. डी. 2 में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 20.4.2004 के निर्देशों के अनुसार, (वर्तमान) निदेशक, सी. बी. आई. की सेवानिवृत्ति की तारीख को सेवा में सबसे वरिष्ठ 4 बैचों के सभी आई. पी. एस. अधिकारियों को निदेशक, सी. बी. आई. के पद पर चयन के लिए विचार करने की आवश्यकता है। यह आगे सूचित किया जाता है कि धारा 4 (ए) (1) के अनुसार डी. एस. पी. ई. अधिनियम, 1946, जैसा कि लोकपाल और लोकायुक्ता अधिनियम, 2013 (2014 का सं. 1) द्वारा संशोधित किया गया है (प्रति संलग्न), केंद्र सरकार

[2019] 3 एस. सी. आर. की सिफारिश पर निदेशक, सी. बी. आई. की नियुक्ति करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस उद्देश्य के लिए निर्धारित सदस्यों से बनी समिति

आई. बी. आई. डी. खंड के तहत।

3. आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अनुसार, उपरोक्त निर्णय के खिलाफ अपील इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकरण सुश्री अश्विनी दत्तात्रेय ठाकरे, उप सचिव (ए. वी. डी.-II), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के समक्ष होगी।

18. याचिकाकर्ता ने 25.12.2018 पर एक और आवेदन दायर किया था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि सरकार द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया क्या थी? सरकार उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार करेगी, चयन सूची की एक प्रति तैयार की जाएगी

निम्नलिखित उत्तर 2.1.2019 पर भेजा गया थाः

" कृपया पंजीकरण वाले अपने ऑनलाइन आर. टी. आई. आवेदन को देखें।

नहीं। डीओपी एंड टी/आर/2018/56394 और डीओपी एंड टी/आर/2018/56397 दिनांकित

25.12.2018 आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

2. यह सूचित किया जाता है कि इस विभाग के कार्यकारी आदेश No.230/14/99-DSPE दिनांक 8.7.2004 के अनुसार जारी किया गया है (निवर्तमान) निदेशक, सी. बी. आई. की सेवानिवृत्ति की तारीख को सेवा में सबसे वरिष्ठ 4 बैचों के सभी आई. पी. एस. अधिकारियों के बीच, सी. ए. सं. <आई. डी. 2 में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांकित 20.4.2004 के निर्देशों पर नए निदेशक, सी. बी. आई. के पद को भरने के लिए विचार करने की आवश्यकता है। सी. बी. आई. में नए निदेशक के चयन की प्रक्रिया अंतिम रूप नहीं ले पाई है।

3. आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अनुसार, उपरोक्त निर्णय के खिलाफ अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकरण सुश्री के समक्ष होगी।

अश्विनी दत्तात्रेय ठाकरे, उप सचिव (एवीडी-II), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर।

19. याचिकाकर्ता संख्या 2 को उपरोक्त संचार द्वारा सलाह दी गई थी कि यदि वह व्यथित है तो आर. टी. आई. अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील करने का सहारा लें। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने कोई अपील दायर नहीं की है। पत्रों को देखते हुए, हमें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है उक्त आधार पर भी मामला।

20. एक ओर याचिकाकर्ता ने 10.1.2019 पर नियमित निदेशक की नियुक्ति के लिए कहा और उस बैठक को

नियमित निदेशक की नियुक्ति जल्द से जल्द करें। हम पाते हैं कि चूंकि नियमित निदेशक नियुक्त किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता की मुख्य प्रार्थना संतुष्ट है और उपरोक्त परिस्थितियों में इस रिट याचिका को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। यदि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो सामान्य कारण और ए. एन. आर.

नियुक्ति में, किसी भी पदधारी के लिए, यदि इस तरह की सलाह दी जाती है, तो कानून के अनुसार नियुक्ति पर सवाल उठाने के लिए हमेशा खुला रहता है, लेकिन नियमित तरीके से और याचिका में दिखाए गए अनुचित जल्दबाजी में नहीं।

21. तदनुसार, हम इस रिट में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हैं।

याचिका और वही इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। पार्टियों को अपनी लागत खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

कल्पना के. त्रिपाठी